NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION

NAI DUNIYA, Gwalior, 25.8.2025
Page No. 6, Size:(16.96)cms X (15.29)cms.

जिसकी लापरवाही से बच्चे के हाथ काटने पड़े उनके खिलाफ अभी भी एफआइआर नहीं

कार्रवाई ● राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने सागर के एसपी-कलेक्टर को लगाई फटकार

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल/सागरः बीना थाना क्षेत्र के बारदा गांव में क्रशर के पास से गुजरी हाइटेंशन लाइन की चपेट में आकर 14 साल के मानस शुक्ला के झुलसने का मामला राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग तक पहुंच गया है। इलाज के दौरान उसके हाथ काटने पड़े थे, लेकिन जिनकी लापरवाही से यह सब हुआ, उनके खिलाफ एफआइआर लिखने से प्रशासन के हाथ कांप रहे हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मामले में सागर के पुलिस अधीक्षक और जिला कलेक्टर की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मुख्य सचिव अनुराग जैन और पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाना को लिखा है कि पहली नजर में सागर कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक कार्रवाई करने में विफल रहे। यह घटना एक जनवरी 2025 को हुई, फिर भी रिकार्ड पर ऐसा कोई तथ्य नहीं है, जो दिखाता हो कि आरोपित क्रशर संचालक के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई शुरू की गई थी। आयोग का मानना है कि घटना के दिन सिविल अस्पताल से सूचना मिलने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। विशेष रूप से, घटना के दिन दुर्घटना स्थल का कोई दौरा नहीं किया गया, ताकि कारण का आकलन किया जा सके, सबूत सुरक्षित किए जा सकें या ऐसी दुर्घटना को रोकने के उपाय किए जा सकें। यह कर्तव्य की उपेक्षा और लोक विश्वास का उल्लंघन है, विशेष रूप से ऐसे मामले में जिसमें एक नाबालिग को गंभीर शारीरिक क्षति पहुंचाई गई हो, जिसने इतनी कम उम्र में अपना एक हाथ खो दिया हो।

मुख्य सचिव को कारण बताओ नोटिस

आयोग ने मुख्य सचिव को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए लिखा है कि आप बताएं कि मानवाधिकार आयोग कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के संवर्ग नियंत्रण प्राधिकरण को सागर कलेक्टर के विरुद्ध कार्रवाई करने की अनुशंसा क्यों न करे। उन्होंने यह भी पूछा है कि आयोग, पीड़ित लड़के मानस शुक्ला पुत्र राकेश शुक्ला को 10 लाख रुपये का मुआवजा देने की अनुशंसा क्यों न करे। पुलिस महानिदेशक को घटना के संबंध में एफआइआर दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। आयोग ने कहा है कि इसकी अनुपालन रिपोर्ट 15 कार्य दिवसों के भीतर पेश करना है। इस मामले कलेक्टर संदीप जी आर ने बात करने से इन्कार कर दिया। वहीं एसपी विकास सहवाल ने फोन नहीं उठाया।

पीड़ित परिवार ने पूर्व मंत्री पर लगाया था आरोप : पीड़ित मानस शुक्ला के पिता राकेश शुक्ला ने मानवाधिकार आयोग से शिकायत की थी। राकेश शुक्ला का आरोप था कि जिस क्रशर में मानस शुक्ला झुलसा था, वह पूर्व मंत्री और खुरई विधायक भूपेंद्र सिंह के भतीजे लखन सिंह ठाकुर का है। भूपेंद्र सिंह के संरक्षण की वजह से ही इस मामले में कार्रवाई नहीं हुई। आरोप है कि लखन सिंह ठाकुर द्वारा किए जा रहे अवैध खनन के लिए यह बिजली लाइन खींची गई थी। बाद में राकेश और उसके परिवार को धमकी दी गई।

पहले कलेक्टर-एसपी ने कहा शिकायत नहीं मिली : आयोग ने अपने पत्र में कलेक्टर-एसपी की गलतियों की पूरी श्रृंखला लिखी है। कहा है कि नोटिस जारी करने के बाद अधिकारियों ने इस मामले में संज्ञान लिया। उसके बाद जो रिपोर्ट पेश की, उसमें पीड़ित की शिकायतों का कोई जवाब नहीं था। उनका तर्क था कि उन्हें कोई शिकायत नहीं मिली, जबकि सिविल सर्जन की रिपोर्ट, मीडिया में छपी खबरें एफआइआर के लिए पर्याप्त थीं।

- मुख्य सचिव को पूछा, क्यों न इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए
- एफआइआर दर्ज करने का आदेश, 15 दिन में मांगी रिपोर्ट

"परिवार में भाइयों के मध्य पारिवारिक संपत्ति का बंटवारा बहुत पहले हो चुका है। सभी अपने व्यवसायों में निजी रूप से लगे हुए हैं। कुटुंब के किसी सदस्य के व्यवसाय के सिलसिले में या गैर कानूनी गतिविधि के लिए वह जिम्मेदार है। उसमें उनके नाम का उपयोग नहीं होना चाहिए।

– भूपेंद्र सिंह, विधायक खुरई

Maktoob Media

NHRC takes suo motu cognizance of Agra cremation after family fails to arrive in time

https://maktoobmedia.com/india/nhrc-takes-suo-motu-cognizance-of-agra-cremation-after-family-fails-to-arrive-in-time/

Maktoob Staff | August 25, 2025 | Modified : August 25, 2025

The National Human Rights Commission has sought a report from Uttar Pradesh authorities after police in Agra cremated a man’s body without his family present, triggering accusations of human rights violations. NHRC said on Friday that it had taken suo motu cognisance of media reports that a man found dead in a train compartment was cremated by the Government Railway Police (GRP) after his family failed to arrive from Giridih, Jharkhand, in time.

According to the media report, carried on 14th August, the family claimed that the police called and informed them about the death and gave them one day to collect the body before it was sent for post-mortem and cremated locally.

But they did not have enough money to go there. Still, two men tried to go to Agra but lost their way while changing trains at Dhanbad and came back. The family of the deceased is reportedly asking why the body of the deceased could not be sent to Jharkhand. Reportedly, the GRP claimed that the force had asked someone in the family to come down to identify the body, even promising to arrange and pay for their return travel to Agra, but they declined.

“The contents of the news report, if true, raise serious issues of violation of human rights,” the NHRC said in a statement, citing its 2021 advisory on protecting the dignity of the dead. The commission emphasised that Article 21 of India’s Constitution guarantees fair treatment and dignity not only to the living but also to the deceased.

The NHRC issued notices to the Uttar Pradesh chief secretary and the state’s director general of police, directing them to submit a detailed report within two weeks.

Meghalaya Monitor

Activist petitions human rights panel & labour commissioner on plight of GHADC staff

Opp holds prayer service for good governance

https://meghalayamonitor.com/activist-petitions-human-rights-panel-labour-commissioner-on-plight-of-ghadc-staff/

Reporter | 4 hours ago

Shillong, Aug 24: Social activist Cherian Momin has petitioned the National Human Rights Commission (NHRC) and the Labour Commission of India regarding the plight of GHADC staff, as they have not been getting salaries for 43 months.

According to Cherian, the petition addresses the grave humanitarian crisis faced by employees of the GHADC, who have been deprived of their rightful salaries for 43 consecutive months, forcing them into prolonged agitation and hardships. "The situation has escalated into a serious violation of fundamental human rights and labour protections guaranteed under the Constitution of India", he said.

The opposition GHADC MDCs led by the Leader of the Opposition on Sunday attended a prayer service organised by the Tura based Church leaders' forum. The service was held to pray for good governance, transparency, and effective functioning of the GHADC for the people of Garo Hills. The event brought together political leaders and the community to collectively seek guidance and a positive future for the region.

Telegraph

Activist Pattnaik seeks autonomy, longer tenure for human rights commissions

The 79-year-old urges fixed 5-year terms, no reappointment, and independent staffing to restore faith in Human Rights Commission

https://www.telegraphindia.com/india/activist-pattnaik-seeks-autonomy-longer-tenure-for-human-rights-commissions-prnt/cid/2119565

Subhashish Mohanty Published 25.08.25, 07:24 AM

Activist Baghambar Pattnaik, 79, continues his battle to ensure India's human rights commissions function with autonomy and transparency in appointments.

Pattnaik has argued that commission heads and members should be given a full five-year term without reappointment, as was the practice earlier, instead of the three-year tenure introduced through a 2019 amendment.

He said: "We are all talking about giving autonomy to the National Human Rights Commission (NHRC) and state human rights commissions (SHRC). How can the commission act independently if the chairperson and members are not given a full five-year term?"

"There should be no reappointment of the chairperson. If this can be done, the commission can act as a watchdog in the legislative process. The NHRC and SHRCs should be headed by retired Chief Justice of the Supreme Court or high courts, respectively."

The activist, who took voluntary retirement as a teacher 25 years ago to dedicate himself to human rights, added: "I have already approached the President and the commission on the issue, but nothing has happened. I am fighting at this age to restore people's confidence in the system. I may be there or not, but let millions benefit from it."

He had also raised the demand during the NHRC sitting in Bhubaneswar last month.

According to NHRC data, more than 34,000 cases are pending under consideration as of July 2025.

Between April and July alone, 37,765 new cases were registered, with 3,433 still pending. These include 285 police custodial deaths, 2,484 judicial custody deaths, 281 deaths in police encounters, 413 bonded labour cases, 660 cases relating to children, 2,048 cases concerning women, 410 involving SC, ST and OBC, and 27,753 other complaints.

Pattnaik said transparency in appointments and adequate staffing were crucial. "The selection process should be transparent. An advisory committee of experts and civil society should lead it, not bureaucracy. An advisory council of NGOs, civil society members and independent experts should be involved in the screening and appointment process. This must apply to the SHRCs as well," he said.

Pattnaik said the NHRC is currently functioning with only four members against the sanctioned six. “Is it possible to handle all the cases with so few members? Many people are suffering because of this,” he asked.

He further demanded that investigation teams be appointed by the commissions themselves, instead of the government deputing director-general-rank police officers and others. Similarly, the commissions should appoint their own secretary rather than relying on government-appointed IAS officers.

“Pluralistic balance should be ensured in composition, with staff drawn from different sections of society,” Pattnaik said.

The Hindu

Cyberabad police rescue 7 trafficked children, detain 70 for indecent acts

https://www.thehindu.com/news/cities/Hyderabad/cyberabad-police-rescue-7-trafficked-children-detain-70-for-indecent-acts/article69971580.ece

Updated - August 24, 2025 07:05 pm IST - HYDERABAD

The Hindu Bureau

Seven trafficked children, including six girls and a boy from Jharkhand were rescued by the Anti-Human Trafficking Unit (AHTU) and along with the Rescue Foundation, Delhi, during a raid on Mahara Pushya Agri Products Pvt. Ltd. in Kondurg on August 20. They were handed over to the **National Human Rights Commission** for rehabilitation.

The AHTU additionally carried out night raids in several areas including Gachibowli, Madhapur, Narsingi, KPHB Colony, Kukatpally and Sanathnagar, leading to the rescue of 15 transgenders and 16 women from prostitution.

Dainik Tribune

आरोही मॉडल स्कूल के शिक्षकों को रेगुलर होने व वेतन सुधार का इंतजार

2018 से स्थायी नियुक्ति की प्रक्रिया लंबित

https://www.dainiktribuneonline.com/news/haryana/aarohi-model-school-teachers-are-waiting-for-regularization-and-salary-improvement/

Tribune News Service

चंडीगढ़, Updated At : 11:28 PM Aug 24, 2025 IST

हरियाणा के 36 आरोही मॉडल स्कूलों में कार्यरत 250 से अधिक शिक्षक और गैर-शिक्षण कर्मचारी अब भी स्थायी नियुक्ति और वेतन सुधार के लिए इंतजार कर रहे हैं। शिक्षकों की मेहनत और छात्रों की शानदार सफलता के बावजूद उनकी मूलभूत मांगें अनसुलझी हैं। आरोही मॉडल स्कूल स्टाफ एसोसिएशन के प्रधान मनोज कुमार ने बताया कि शिक्षक वर्ष 2013 से अनुबंध पर कार्यरत हैं। उन्होंने कहा कि 2018 से स्थायी नियुक्ति की प्रक्रिया लंबित है। सरकार ने कई बार फाइलें मंगवाई और समितियां गठित कीं, लेकिन मामला अब तक अधर में ही लटका है। लंबे समय से हो रही देरी की वजह से शिक्षकों में निराशा है और उनकी मेहनत का मूल्यांकन नहीं हो पा रहा। शिक्षकों का कहना है कि लगातार अस्थायी व्यवस्था में काम करना उनके मनोबल पर असर डाल रहा है।

उन्होंने कहा कि हम अपने छात्रों के उज्ज्वल भविष्य के लिए हर दिन पूरी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हमारी समस्याओं को नजरअंदाज किया जा रहा है। असली समस्या केवल नियमितीकरण नहीं है। शिक्षक सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतनमान, महिला शिक्षकों के लिए सीसीएल (बाल देखभाल अवकाश) और अन्य सुविधाओं की भी मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में मॉडल स्कूलों के शिक्षक स्थायी सेवाओं और सुविधाओं के साथ कार्यरत हैं। मनोज कुमार का कहना है कि दूसरे राज्यों में शिक्षक सम्मानित हैं, लेकिन हरियाणा में हमारी जरूरतों की अनदेखी की जा रही हैं। आरोही मॉडल स्कूलों के छात्रों ने जेईई मेन्स एग्जाम में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। कई छात्रों ने आईआईटी, नीट और मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश पाया।

मानवाधिकार आयोग भेज चुका नोटिस

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने शिक्षा विभाग को नोटिस भेज कर पूछा है कि इतने वर्षों से अनुबंध पर काम कर रहे शिक्षकों को मूलभूत अधिकार क्यों नहीं दिए गए। फिर भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, जिससे शिक्षक और अधिक निराश हैं। उनका कहना है कि नियमितीकरण प्रक्रिया तुरंत पूरी की जाए। सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतनमान लागू किया जाए। महिला शिक्षकों को सीसीएल और अन्य सुविधाएं दी जाएं। स्थानांतरण नीति लागू हो, ताकि शिक्षक सरकारी स्कूलों में ट्रांसफर का अधिकार पा सकें।

Nai Duniya

MP के सागर में हाथ गंवाने वाले बच्चे की FIR लिखने में लापरवाही, कलेक्टर, एसपी को लगी फटकार

आयोग ने मुख्य सचिव अनुराग जैन को चिट्ठी लिखी है। इसमें कहा है कि इस घटना में करंट लगने से हाथ कटवाने को मजबूर हुए मानस शुक्ल के स्वजन को 10 लाख रुपये की सहायता क्यों न दी जाए? आयोग ने सागर कलेक्टर संदीप जीआर को इस मामले में जिम्मेदार मानते हुए उनके विरुद्ध डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग में कम्प्लेंट कर कार्रवाई के लिए पत्र लिखने को कहा है।

https://www.naidunia.com/madhya-pradesh/sagar-collector-and-sp-reprimanded-for-negligence-in-writing-fir-of-a-child-who-lost-his-hand-in-sagar-mp-8402241

By Sanjay Pandey

Edited By: Dheeraj Belwal

Publish Date: Sun, 24 Aug 2025 10:02:43 PM (IST)

Updated Date: Sun, 24 Aug 2025 10:02:43 PM (IST)

HighLights

मानव अधिकार आयोग ने मुख्य सचिव अनुराग जैन को लिखी चिट्ठी

कलेक्टर व एसपी को ठहराया जांच में लापरवाही बरतने का जिम्मेदार

पीड़ित परिवार को दस लाख की सहायता देने की बात कही

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल/सागर। बीना थाना क्षेत्र के बारदा गांव में क्रशर के पास से गुजरी हाइटेंशन लाइन की चपेट में आये 14 साल के मानस शुक्ला के मामले में कार्रवाई किए जाने में लापरवाही बरतने पर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने सागर कलेक्टर व एसपी को फटकार लगाई है।

आयोग ने मुख्य सचिव को लिखी चिट्ठी

आयोग ने मुख्य सचिव अनुराग जैन को चिट्ठी लिखी है। इसमें कहा है कि इस घटना में करंट लगने से हाथ कटवाने को मजबूर हुए मानस शुक्ल के स्वजन को 10 लाख रुपये की सहायता क्यों न दी जाए? आयोग ने सागर कलेक्टर संदीप जीआर को इस मामले में जिम्मेदार मानते हुए उनके विरुद्ध डीओपीटी (डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग) में कम्प्लेंट कर कार्रवाई के लिए पत्र लिखने को कहा है।

लापरवाही बताते हुए नाराजगी जताई

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने इस पूरे मामले में सागर कलेक्टर और एसपी दोनों को ही घोर लापरवाह बताते हुए नाराजगी जताई है। मुख्य सचिव जैन को भेजे नोटिस में कहा है कि सागर जिले के बीना थाना क्षेत्र के बारदा गांव में क्रशर के लिए खींची गई हाईटेंशन बिजली लाइन में तार खुले छोड़कर रखे थे। इसके पास से गुजरते समय 1 जनवरी 2025 को 14 साल का बच्चा मानस शुक्ला का गंभीर रूप से झुलस गया था और बेहोश भी हुआ था।

पुलिस और प्रशासन के अफसरों ने FIR दर्ज नहीं की

घटना के बाद बीना अस्पताल के चिकित्सकों ने थाने को सूचना भी दी थी, लेकिन पुलिस और प्रशासन के अफसरों ने एफआईआर दर्ज नहीं की। जिस क्रशर में मानस शुक्ला झुलसा था, वह भूपेंद्र सिंह के भतीजे लखन सिंह ठाकुर का है। मानस के स्वजन ने इस मामले में भूपेंद्र सिंह पर लखन को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। आयोग ने कहा है कि मानस के पिता राकेश शुक्ला ने शिकायत की है कि विधायक और पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह ठाकुर और उनके भतीजे लखन सिंह ठाकुर द्वारा किए जा रहे अवैध खनन के लिए यह बिजली लाइन खींची गई थी।

इसकी जानकारी के बाद भी कार्रवाई नहीं की गई। राकेश और उसके स्वजन को धमकाया गया कि ज्यादा शिकायत की तो एफआईआर करा देंगे। जान से मारने की धमकी भी दी गई। मानव अधिकार आयोग ने अपनी जांच के बाद कहा है कि इस केस में पुलिस और प्रशासन ने पांच महीने तक टालमटोल किया और एफआइआर दर्ज नहीं की। आयोग ने कहा कि सरकार यह बताए कि आखिर इस मामले में एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की गई?

आयोग की कार्यवाही को प्रभावित करने के प्रयास का आरोप

आयोग ने पूरे घटनाक्रम को सत्ता के दुरुपयोग और जनता के भरोसे से खिलवाड़ का वाला मामला बताया है। आयोग ने यह भी ध्यानाकर्षित किया है कि खुरई के विधायक भूपेंद्र सिंह ने झूठे आरोपों वाले पत्र भेज कर आयोग की कार्यवाही को प्रभावित करने का प्रयास किया है। आयोग ने नोटिस में यह भी कहा है कि आयोग के विचार में कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक सागर द्वारा यह दलील कि शिकायत कर्ता ने कोई शिकायत प्रस्तुत नहीं की, असमर्थनीय है। इस मामले में एफआइआर दर्ज होना इसलिए भी आवश्यक है ताकि बालक संबंधित विभाग से आर्थिक सहायता प्राप्त कर सके।

न थाने में दे रहे जानकारी, न एसपी उठा रहे मोबाइल

इस मामले को लेकर मानव अधिकार आयोग सख्ती के बाद भी न तो प्रशासन कुछ बोलने को तैयार है और न पुलिस विभाग जानकारी दे रहा है। इस मामले को लेकर नवदुनिया ने कलेक्टर संदीप जीआर को मोबाइल लगाया। मानव आयोग द्वारा दिए पत्र व लापरवाही के आरोप लगाने के सवाल पर कलेक्टर ने कहा कि आप थोड़ी देर बात करें। उन्हें वाटसग्रुप पर भी इस संबंध में जवाब लेने मैसेज भेजा गया, लेकिन समाचार लिखे जाने तक जवाब नहीं आया। वहीं एसपी विकास शाहवाल ने मोबाइल काल रिसीव नहीं किया।

बीना में करंट के मामले में एफआईआर दर्ज कराने को लेकर बीना संवाददाता को बीना थाने भेजा गया। थाने में पदस्थ अधिकारी से लेकर प्रधान आरक्षक तक इसका जवाब देने से बचते नजर आये। उन्होंने कहा कि इस मामले की जानकारी एडिशनल एसपी स्तर के अधिकारी ही दें सकते हैं। वहीं पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह के निज सचिव को मोबाइल किया तो मंत्री एक कार्यक्रम में व्यस्त थे। उनसे बात नहीं हो सकी।

Jagran

IIT का नवाचार, दिव्यांगों के लिए इशारे से चलने वाली व्हीलचेयर और 23 भाषाओं में अध्ययन सामग्री

कानपुर में आइआइटी द्वारा आयोजित एक सम्मेलन में वैज्ञानिकों ने दिव्यांगों के लिए नई तकनीकों पर अनुसंधान प्रस्तुत किया। इनमें इशारे से चलने वाली व्हीलचेयर 23 भाषाओं में अध्ययन सामग्री और रोबोटिक एक्सरसाइज शामिल हैं। सीएसआइआर-सीएसआइओ और एलिम्को ने नेत्रहीनों के लिए उपकरण और वेन विजुअलाइजर जैसे उत्पाद बनाने के लिए समझौता किया है। आईआईटी साइबर सुरक्षा को मजबूत करने पर भी काम कर रहा है।

https://www.jagran.com/uttar-pradesh/kanpur-city-kanpur-news-iit-develops-innovative-tech-for-disabled-focus-on-cyber-security-plastic-waste-24023689.html

By vivek Mishra Edited By: Anurag Shukla1Updated: Sun, 24 Aug 2025 05:43 PM (IST)

जागरण संवाददाता, कानपुर। आने वाले समय में दिव्यांग के इशारे पर व्हीलचेयर चलने लगे, दिव्यांगों को 23 भारतीय भाषाओं में अध्ययन सामग्री पढ़ने को मिले। रीढ़ की हड्डी के रोग से ग्रस्त मरीजों को रोबोट के जरिये एक्सरसाइज करने की सुविधा मिले तो आप हैरत में मत पड़िएगा क्योंकि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र से जुड़े वैज्ञानिक ऐसी तकनीकों पर अनुसंधान में जुटे हैं।

आइआइटी की ओर से मंधना-बिठूर रोड स्थित ब्लू वर्ल्ड कैसल में कराए जा रहे ट्रिप्स-2025 (नीति और विज्ञान में अनुवादात्मक अनुसंधान और नवाचार) सम्मेलन में शनिवार को देश भर से आए वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों ने भविष्य की चुनौतियों से निपटने वाली तकनीक को विकसित कर समाधान देने की दिशा में व्याख्यान दिया।

वैज्ञानिक और औद्योगिक उपकरणों के अनुसंधान, डिजाइन और विकास के लिए समर्पित चंडीगढ़ स्थित सीएसआइआर-सीएसआइओ (वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद-केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन) के निदेशक प्रो. शांतनु भट्टाचार्य ने बताया कि कानपुर स्थित एलिम्को के साथ दिव्यांगों के लिए आठ प्रोडक्ट बनाने का एमओयू किया है। इसमें नेत्र दिव्यांग बच्चों के लिए लो विजन एड, दिव्य नैन स्कैनर, जेस्चर माउंटेड व्हीलचेयर, वेन विजुलाइजर सहित अन्य उत्पाद शामिल हैं।

आयुर्वेद के क्षेत्र में नाड़ी शोधन यंत्र, रक्षा क्षेत्र में लाइट काम्बैट एयरक्राफ्ट मार्क दो उड़ाने वाले पायलटों की सहूलियत के लिए हेडअप डिस्प्ले जैसे उपकरणों के लिए अनुसंधान एवं विकास पर काम चल रहा है। प्रो. शांतनु ने बताया कि देश भर में पांच लाख बच्चे ऐसे हैं जो नेत्र दिव्यांग हैं। लो विजन की समस्या से पीड़ित बच्चों में अंधता की समस्या पर अंकुश लगाने के लिए उच्च शक्ति का लेंस बनाया है। अब ग्लास की बजाय पालीमर मैटेरियल से लेंस तैयार किए हैं, जो कम कीमत में उपलब्ध होंगे।

प्रो. शांतनु ने बताया कि शारीरिक रूप से असमर्थ दिव्यांगों के लिए एआइ और मशीन लर्निंग से लैस जेस्चर माउंटेड व्हील चेयर तकनीक विकसित की है। इसमें दिव्यांग अंगुली से टच करते ही व्हील चेयर चला सकेंगे। दिव्यांगों को 23 भारतीय भाषाओं में अध्ययन सामग्री पढ़ने के लिए दिव्य नैन स्कैनर डिवाइस बनाई है। इसमें पेज को स्कैन करके आसानी जिस भाषा में चाहेंगे, उसे पढ़ सकेंगे। वेन विजुलाइजर डिवाइस से मरीज

को इंजेक्शन लगाने के लिए एक बार में ही नस का आसानी से पता लगाया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि रीढ़ की हड्डी की बीमारी के वजह से मरीज चलने फिरने में असमर्थ हो जाता है।

ऐसे लोगों के लिए एआइ और मशीन लर्निंग से लैस गेट : रिहैबिलिटेशन सिस्टम उपकरण बनाया गया है। ये रोबोटिक सिस्टम मरीज को कमर से पकड़ कर खड़ा करके उसे जरूरी एक्सरसाइज करा सकेंगे। प्रो. शांतनु ने बताया कि डिफेंस सेक्टर में लाइट काम्बैट एयरक्राफ्ट यानी एलसीए मार्क 2 के पायलटों के लिए हेडअप डिस्पले बनाने का काम चल रहा है। रक्षा क्षेत्र की इंडस्ट्री इसका उत्पादन करेगी। अभी तक इस तकनीक के लिए इजरायल के लिए निर्भर रहना पड़ता था।

आइआइटी के निदेशक प्रो. मणीन्द्र अग्रवाल ने कहा कि साइबर हमलों के तरीके बदल रहे हैं। ऐसे में आइआइटी कानपुर साइबर सुरक्षा को और मजबूत करने की दिशा में काम रहा है। **राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग** के जनरल सेक्रेटरी और सीईओ, जेएनसीएएसआर के पूर्व अध्यक्ष प्रो. जीयू कुलकर्णी, आइआइटी मद्रास के प्रोफेसर टी प्रदीप, आइआइटी रुड़की के प्रोफेसर कमल के पंत, आइआइटी गुवाहाटी के पूर्व निदेशक प्रो. गौतम बिस्वास, आइआइटी इंदौर के निदेशक प्रो. सुहास जोशी, गति शक्ति विश्वविद्यालय वड़ोदरा के वाइस चांसलर प्रो. मनोज चौधरी ने भी व्याख्यान दिया। यहां देश के विभिन्न संस्थानों के 120 विशेषज्ञ शामिल हुए हैं।